भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3125
दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाएं और कुपोषित बच्चे

†3125. श्री राजीव राय:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौर क्या है;
(ख) उपर्युक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा योजनावार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के तहत आवंटित और खर्च की गई धनराशि वर्षवार कितनी है;
(घ) क्या इन योजनाओं के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में वर्ष 2022-23 और 2023-24 में रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की संख्या में गिरावट आई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति को लागू करता है, जिसमें देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुपोषण और एनिमिया संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्यकलाप शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा **केंद्रों में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** स्थापित किए जाते हैं, ताकि चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन-पेशेंट चिकित्सा और पोषण संबंधी परिचर्या प्रदान की जा सके। उपचारात्मक देखभाल के अलावा, बच्चों के लिए समय पर, पर्याप्त और उचित आहार, पूर्ण आयु-उचित देखभाल और आहार प्रथाओं के संबंध में माताओं और देखभाल करने वालों के कौशल में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)** कार्यनीति को छह क्रियाकलाप (प्रोफिलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण (आईएफए सिरप 6-59 महीने के बच्चों को दो सप्ताह में प्रदान किया जाता है और

आईएफए लाल गोलियां साप्ताहिक आधार पर गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाती हैं), कृमि मुक्ति (सभी बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं), गहन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, एनीमिया के लिए परीक्षण और प्रोटोकॉल प्रबंधन के अनुसार उपचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आईएफए फोर्टिफाइड भोजन का अनिवार्य प्रावधान और एनीमिया के गैर-पोषण कारणों विशेष रूप से मलेरिया, फ्लोरोसिस और हीमोग्लोबिनोपैथी का समाधान करना) के कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण में बच्चों और महिलाओं सहित गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए लागू किया गया है।

- **माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए)** कार्यक्रम स्तनपान कवरेज में सुधार करने के लिए लागू किया गया है जिसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान और उसके बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार प्रथाओं पर परामर्श शामिल है।

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्याप्तता और 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पोषण कार्यक्रमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुलग्नक -II** में दी गई है

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (वित्त) के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पोषण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुमोदित निधियों और व्यय का वर्ष-वार, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही तक (लाख रुपये में) का विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के नवीनतम दौर के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की व्याप्तता और 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता का ब्यौरा निम्नवत है:-

संकेतक	**एनएफएचएस 5 (2019-21)**
5 वर्ष से कम आयु वाले स्टंटेड बच्चे (%)	25.4
5 वर्ष से कम आयु के कमज़ोर बच्चे (%)	21.2
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है (%)	30.3
15-49 वर्ष की आयु की सभी महिलाएं जो एनीमिक हैं (%)	44.3

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3125 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक -I

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति [एनएफएचएस 5 (2019-21)]

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**5** वर्ष से कम आयु के बच्चे जो स्टंटेड हैं **(%)**	**5** वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कमज़ोर हैं **(%)**	**5** वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है **(%)**	**15-49** वर्ष की आयु की महिलाएं जो एनीमिक हैं **(%)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.5	16.0	23.7	57.5
2	आंध्र प्रदेश	31.2	16.1	29.6	58.8
3	अरुणाचल प्रदेश	28.0	13.1	15.4	40.3
4	असम	35.3	21.7	32.8	65.9
5	बिहार	42.9	22.9	41.0	63.5
6	चंडीगढ़	25.3	8.4	20.6	60.1
7	छत्तीसगढ़	34.6	18.9	31.3	60.8
8	दादरा नागर हवेली और दमन दीव	39.4	21.6	38.7	49.9
9	दिल्ली	30.9	11.2	21.8	62.5
10	गोवा	25.8	19.1	24.0	39.0
11	गुजरात	39.0	25.1	39.7	65.0
12	हरियाणा	27.5	11.5	21.5	60.4
13	हिमाचल प्रदेश	30.8	17.4	25.5	53.0
14	जम्मू और कश्मीर	26.9	19.0	21.0	55.9
15	झारखंड	39.6	22.4	39.4	65.3
16	कर्नाटक	35.4	19.5	32.9	47.8
17	केरल	23.4	15.8	19.7	36.3
18	लद्दाख	30.5	17.5	20.4	92.8
19	लक्षद्वीप	32.0	17.4	25.8	25.8
20	मध्य प्रदेश	35.7	19.0	33.0	54.7
21	महाराष्ट्र	35.2	25.6	36.1	54.2
22	मणिपुर	23.4	9.9	13.3	29.4
23	मेघालय	46.5	12.1	26.6	53.8
24	मिजोरम	28.9	9.8	12.7	34.8
25	नागालैंड	32.7	19.1	26.9	28.9
26	ओडिशा	31.0	18.1	29.7	64.3
27	पुडुचेरी	20.0	12.4	15.3	55.1
28	पंजाब	24.5	10.6	16.9	58.7
29	राजस्थान	31.8	16.8	27.6	54.4
30	सिक्किम	22.3	13.7	13.1	42.1
31	तमिलनाडु	25.0	14.6	22.0	53.4
32	तेलंगाना	33.1	21.7	31.8	57.6
33	त्रिपुरा	32.3	18.2	25.6	67.2
34	उत्तर प्रदेश	39.7	17.3	32.1	42.6
35	उत्तराखंड	27.0	13.2	21.0	50.4
36	पश्चिम बंगाल	33.8	20.3	32.2	71.4

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3125 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

पोषण कार्यक्रमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

अनुलग्नक II

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	पोषण पुनर्वास केंद्रों की संख्या*	गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें **180** आईएफए गोलियां प्रदान की गईं **	स्तनपान कराने वाली माताओं का प्रतिशत जिन्हें **180** आईएफए गोलियाँ प्रदान की गई **	**3** वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया है ***
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	61.9	77.5	46.9
2	आंध्र प्रदेश	21	95.0	86.1	52
3	अरुणाचल प्रदेश	1	91.5	57.4	52
4	असम	29	95.0	65.4	49.1
5	बिहार	41	90.8	51.4	31.1
6	चंडीगढ़	1	95.0	95.0	63.7
7	छत्तीसगढ़	97	95.0	79.8	32.2
8	दादरा नागर हवेली और दमन दीव	1	95.0	95.0	25.9
9	दिल्ली	5	95.0	62.6	51.2
10	गोवा	0	95.0	80.6	61.6
11	गुजरात	136	95.0	95.0	37.8
12	हरियाणा	11	95.0	59.7	41.6
13	हिमाचल प्रदेश	7	89.7	72.1	45.1
14	जम्मू और कश्मीर	6	95.0	73.2	55.6
15	झारखंड	98	92.4	76.2	21.5
16	कर्नाटक	33	95.0	88.3	49.1
17	केरल	4	95.0	61.8	66.7
18	लद्दाख	2	95.0	79.8	57.9
19	लक्षद्वीप	0	95.0	79.1	76.3
20	मध्य प्रदेश	318	95.0	65.5	41.3
21	महाराष्ट्र	45	95.0	61.9	53.2
22	मणिपुर	1	46.4	33.6	53.7
23	मेघालय	7	68.6	64.2	78.8
24	मिजोरम	1	81.5	64.6	60.1
25	नागालैंड	1	71.7	42.4	57.9
26	ओडिशा	67	95.0	81.1	68.5
27	पुडुचेरी	0	95.0	95.0	54.1

28	पंजाब	5	72.8	49.4	53.1
29	राजस्थान	40	95.0	79.7	40.7
30	सिक्किम	0	93.4	89.3	33
31	तमिलनाडु	8	95.0	61.9	60.2
32	तेलंगाना	17	95.0	78.3	37.1
33	त्रिपुरा	1	95.0	58.6	36.4
34	उत्तर प्रदेश	81	95.0	46.8	23.9
35	उत्तराखंड	2	95.0	64.6	41.3
36	पश्चिम बंगाल	53	95.0	92.3	59.4

स्रोत: *-राज्य रिपोर्ट 2023-24

** वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)

*** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस (2019-21)

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3125 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक III

वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 'दूसरी तिमाही तक' की अवधि के लिए एनएचएम के तहत पोषण कार्यक्रमों के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22*		2022-23		2023-24		2024-25 (दूसरी तिमाही तक)	
		अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	42.9	1.6	36.1	7.7	71.7	11.1	47.8	12.7
2	आंध्र प्रदेश	3,789.2	3,595.0	10237.6	3668.4	10,069.8	8,107.0	9,061.9	786.8
3	अरुणाचल प्रदेश	469.9	271.6	259.8	229.6	268.8	2.4	442.0	50.3
4	असम	3,581.6	2,772.8	3327.8	2786.6	3,045.5	2,350.5	2,996.4	486.1
5	बिहार	1,616.2	1,004.2	11984.5	1992.2	11,943.3	3,192.7	10,459.9	1,161.0
6	चंडीगढ़	4.1	1.7	1.2	0.1	1.2	0.7	1.4	0.2
7	छत्तीसगढ़	5,514.9	3,392.7	3681.0	3328.0	3,517.7	1,728.4	3,722.8	397.7
8	दादरा नागर हवेली और दमन दीव	73.0	37.2	29.1	11.7	27.7	4.9	99.8	9.6
9	दिल्ली	1,287.1	105.4	862.8	26.5	850.7	49.2	1,219.5	34.6
10	गोवा	50.3	15.9	159.5	60.3	159.5	39.9	83.3	1.5
11	गुजरात	7,384.4	5,210.4	4759.5	2467.5	4,383.8	4,361.1	6,226.1	714.9
12	हरियाणा	1,620.3	1,662.6	2283.2	2770.2	2,326.2	2,592.2	2,163.9	2,350.3
13	हिमाचल प्रदेश	526.3	291.9	506.8	214.9	268.1	199.8	1,096.4	43.7
14	जम्मू और कश्मीर	1,595.4	393.8	1192.2	551.3	1,332.2	81.8	1,304.4	46.3
15	झारखंड	5,585.6	1,198.6	8578.4	3593.0	7,943.5	2,007.9	8,541.1	602.6
16	कर्नाटक	3,871.0	2,257.9	4597.8	618.7	5,196.2	1,408.6	1,280.8	49.5
17	केरल	653.2	231.1	3347.8	1266.3	3,087.8	370.8	2,274.6	418.3
18	लद्दाख	92.5	18.6	52.5	14.2	32.9	15.4	56.9	4.3
19	एलकेएस	6.9	0.4	8.5	5.5	6.3	2.5	7.2	0.2
20	मध्य प्रदेश	9,236.7	6,549.2	15453.0	9289.7	20,025.9	9,240.5	13,507.1	1,696.5
21	महाराष्ट्र	6,171.0	5,281.9	10497.6	3211.9	10,599.7	3,527.5	10,752.1	3,284.7
22	मणिपुर	530.3	85.2	281.1	63.1	275.1	48.3	870.7	85.4
23	मेघालय	634.9	259.0	690.2	463.2	713.0	80.7	713.8	42.5
24	मिजोरम	197.6	66.5	238.3	30.3	187.9	89.8	220.5	29.8
25	नागालैंड	373.3	145.4	350.8	32.1	522.8	59.8	386.3	75.7
26	ओडिशा	5,446.0	3,973.6	4844.1	1328.6	3,889.4	2,154.5	2,958.8	1,301.3
27	पुडुचेरी	44.7	26.7	259.2	113.1	288.2	33.3	128.4	18.7

28	पंजाब	1,330.0	882.7	1351.7	187.6	1,320.0	1,320.0	2,265.3	42.9
29	राजस्थान	5,365.1	2,473.8	6303.7	2036.4	5,919.4	2,051.3	8,665.1	112.5
30	सिक्किम	66.7	6.7	85.6	57.1	71.7	56.3	70.1	25.6
31	तमिलनाडु	826.5	863.4	2309.2	903.7	2,305.2	1,486.2	932.8	760.5
32	तेलंगाना	2,176.5	1,683.4	3741.5	4819.7	3,687.7	325.5	4,242.6	0.0
33	त्रिपुरा	282.4	190.9	894.5	167.4	939.3	766.5	762.3	83.5
34	उत्तर प्रदेश	21,449.8	8,398.6	20060.2	2213.6	39,441.5	11,311.1	16,904.1	864.6
35	उत्तराखंड	547.1	203.8	1866.5	384.2	2,005.5	472.9	1,844.9	348.4
36	पश्चिम बंगाल	5,638.7	8,311.8	3877.8	2470.0	4,081.9	3,034.8	5,656.3	795.0

1. एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

2. व्यय में केन्द्रीय रिलीज, तदनुरूपी जारी राज्य अंश और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष राशि में से किया गया व्यय शामिल है।

3. * इसमें एमएए, एनडीडी, एएमबी, एनआरसी, विट ए, आईएमएनसीआई, एफ-आईएमएनसीआई, आईडीसीएफ, एचबीवाईसी, एचबीएनसी, एनबीएसयू, एनएसएसके, एसएनसीयू, केएमसी, एसएएएनएस, परिवार भागीदारी देखभाल, सीडीआर, बाल-एचडीयू आदि जैसे सभी सीएच कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन शामिल है।

4. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय में केंद्रीय रिलीज, राज्य रिलीज और वर्ष के शुरू में अव्ययित शेष में से किया गया व्यय शामिल है। आरसीएच आदि के फ्लेक्सिबल पूल के संबंध में व्यय को, अरूणाचल प्रदेश, पीजे (31.08.2024 तक अद्यतन), के एन, एमजेड (31.07.2024 तक अद्यतन) तथा एमजी (30.06.2024 तक अद्यतन) को छोड़कर दिनांक 30.09.2024 तक अद्यतन किया गया है।

*****